कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

एक मुल्जिम गिरफ्तार चोरी की 5 मोटर साईकिले बरामद

जयपुर 30 अगस्त। पाली के पुलिस थाना सोजतरोड ने स्थानीय मुखबिरों व तकनीकी सहायता से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर चोरी की 5 मोटर साईकिले बरामद करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक पाली, श्री दीपक भार्गव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि श्री ज्योति स्वरूप शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक, पाली, श्री भोमाराम वृताधिकारी, वृत सोजत के निर्देशन अनुसार थानाधिकारी भूटाराम उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस थाना सोजतरोड की गठित टीम द्वारा स्थानीय मुखबिरों व तकनीकी सहायता से आसुचना संकलित कर आज 30 अगस्त,17 को मुस्तबा मंगल सिहं पुत्र कानसिहं जाति रावणा राजपुत उम्र 28 वर्ष निवासी रेन्दडी पुलिस थाना सोजतरोड को चोरी की मोटर साईकिल के साथ दस्तयाब कर पुछताछ की गई तो दौराने पूछताछ थाना हाजा पर दर्ज प्रकरण में पारसमल पुत्र चुतराराम रैगर निवासी सवराड की मोटर साईकिल व प्रकरण संख्या 92/17 में श्री गजेन्द्र सिहं पुत्र मानसिहं जाति चारण निवासी की चोरी गई मोटर साईकिलों सहित सोजतसिटी व कामलीघाट थाना देवगढ, करेडा जिला भीलवाडा आदि स्थानों से मोटर साईकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर उसको गिरफ्तार कर निशादेही से 05 मोटर साईकिले बरामद कर अन्य वारदातों एवं शरीक मुलजिमानों बाबत विस्तृत पूछताछ जारी है।

राही/सन्तरा/629/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

जुआ खेलते 20 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयपुर 30 अगस्त। सिरोही जिले के पुलिस थाना आबूपर्वत ने मुखबिर की सूचना पर अचल रिसोर्ट अचलगढ में दबीश देकर जुआ शट्टा खेल रहे 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर, जुआ राशि 3 लाख 23 हजार 325 रूपये व 10 लाख 37 हजार रूपये के जुआ खेलने के टोकन बरामद किये है।

पुलिस अधीक्षक सिरोही ने आज जानकारी देते हुए बताया कि श्री भूपेन्द्रसिंह थानाधिकारी पुलिस थाना आबूपर्वत मय जाब्ता ने मुखबीर ईतला पर अचल रिसोर्ट अचलगढ में दबीश देकर जुआ शटटा खेल रहे

बीस व्यक्ति मय होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर जुआ राशि 3 लाख 23 हजार 325 रूपये व 10 लाख 37 हजार रूपये के जुआ खेलने के टोकन बरामद किये जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों में श्री परेश कुमार पुत्र श्री चन्दूलाल जाति ठक्कर उम्र 35 वर्ष पेशा व्यापार निवासी लक्ष्मीपुरा मकान नं. 8/4/29 मीरा दरवाजा पाटन थाना पाटन बी डिवीजन जिला पाटन गुजारात, श्री नवीन भाई पुत्र श्री नटटु भाई जाति नाई उम्र 30 वर्ष पेशा ड्राईवर निवासी पादरड़ी तह. काकरेज जिला बनासकांठा हाल लक्ष्मीपुरा, मीरा दरवाजा पाटन थाना पाटन बी डिवीजन जिला पाटन गुजारात, श्री किर्ती कुमार पुत्र श्री नटवर लाल जाति ठक्कर उम्र 36 वर्ष पेशा व्यापार निवासी 2 सोनल नगर सोसायटी आशापुरी ज्वैलर्स चाँद लोड़ीया पुलिस थाना भाोला अहमदाबाद गुजरात, श्री कन्नु भाई पुत्र श्री बाबूभाई जाति प्रतापति उम्र 30 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी मीरा दरवाजा, लक्ष्मीपुरा पुलिस थाना बी डिवीजन पाटन गुजरात, श्री भीखा भाई पुत्र श्री रसीक भाई जाति जोशी उम्र 21 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी मीरा दरवाजा, लक्ष्मीपुरा पुलिस थाना बी डिवीजन पाटन गुजरात, श्री प्रतीक कुमार पुत्र श्री दलीप कुमार जाति ठक्कर उम्र 30 वर्ष पेशा व्यापार निवासी मकान नं 99 तिरूपति टाऊन शिप, गार्डन होटल के पीछे चाणसमा हाईवे पुलिस थाना बी डिवीजन पाटन गुजरात, श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री अहमद भाई जाति मुसलमान उम्र 34 वर्ष पेशा ड्राईवर निवासी सीता दरवाजा कस्बा सेरी पुलिस थाना धांगधरा जिला सरेन्द्र नगर गुजरात, श्री अनिल भाई पुत्र श्री गोविन्द भाई जाति ठक्कर उम्र 30 वर्ष पेशा किरयाना की दुकान निवासी पालड़ी पुलिस थाना भीलड़ी जिला बनास कांठा गुजरात, श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री भाांतिलाल जाति ठक्कर उम्र 45 वर्ष पेशा व्यापार न निवासी गांव नायता थाना बागड़ोल जिला पाटन गुजरात, श्री विजय कुमार पुत्र श्री चतुर भाई जाति नाई उम्र 27 वर्ष पेशा बाल कटिंग निवासी खान पुरड़ा रामपुरा पाटन थाना बी डिवीजन पाटन गुजरात, श्री अल्ताब मुस्तफा पुत्र श्री मुस्तफा सालार जाति मुसलमान उम्र 32 वर्ष पेशा प्राईवेट नौकरी निवासी मस्तान बाबा बडी दरगाड रोड़ के पीछे कोसर पार्क सोसायटी मकान नं 07 सरखेज अहमदाबाद गुजरात, श्री निकुंज पुत्र श्री बलदेव भाई जाति साधु उम्र 30 वर्ष पेशा व्यापार निवासी लक्ष्मीपुरा मकान नं. 8/4/28–1 मीरा दरवाजा पाटन थाना पाटन बी डिवीजन जिला पाटन गुजारात, श्री मुस्ताक भाई पुत्र श्री हुसैन भाई जाति मुसलमान उम्र 57 वर्ष पेशा व्यापार निवासी पायगा स्कुल सत माता रोड कड़ी पुलिस थाना कड़ी जिला मेहसाणा गुजरात। श्री कपिलदेव पुत्र भगवान दास जाति ठक्कर उम्र 38 साल पेशा व्यापार निवासी पांच वृदावन राजमहल रोड पाटन पुलिस थाना बी डीवीजन पाटन जिला पाटन गुजरात, श्री सुरेश भाई पुत्र श्री हंसमुखलाल जाति ठक्कर उम्र 28 साल पेशा प्राईवेट नौकरी निवासी प्रिंस पैलेस सोसायटी कैनाल रोड़ पाटन पुलिस थाना बी डीवीजन पाटन जिला पाटन गुजरात, श्री हरेश कुमार पुत्र श्री के ावलाल जाति ठक्कर उम्र 28 साल पेशा व्यापार निवासी लक्ष्मीपुरा मीरा दरवाजा पाटन पुलिस थाना बी डीवीजन पाटन जिला पाटन गुजरात, श्री अनील कुमार पुत्र श्री वालजी भाई जाति ठक्कर उम्र 38 साल पेशा व्यापार निवासी क्षैत्रपाल पार्लर मीरा दरवाजा पाटन हाल लाले वर पार्क सोसायटी मीरा दरवाजा पाटन पुलिस थाना बी डीवीजन पाटन जिला पाटन गुजरात, श्री विपुल कुमार पुत्र दलपत राम जाति ठक्कर उम्र 39 साल पेशा व्यापार निवासी जिवराज पार्क 32 कैनाल रोड पाटन पुलिस थाना ए डीवीजन पाटन जिला पाटन गुजरात, श्री प्रदीप भाट पुत्र श्री अर्जुनलाल जाति भाट उम्र 23 साल पेशा प्राईवेट नौकरी निवासी धाण पुलिस थाना रेवदर हाल अचल रिसोर्ट अचलगढ आबूपर्वत सिरोही, श्री दीपक साख्य पुत्र श्री बादशाह साख्य जाति साख्य उम्र 29 साल पे ाा प्राईवेट नौकरी निवासी गोविंददास मोहल्ला अलिगंज ऐटा पुलिस थाना अलिगंज जिला ऐटा उतरप्रदेश हाल मैनेजर अचल रिसोर्ट आबूपर्वत सिरोही आदि सामिल थे।

राही/सन्तरा/630/2017
नोटः– उक्त प्रेस नोट**www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

''नेत्रदान महादान'' के ध्येय वाक्य तथा ''अन्धेरे सपनों में रंग भरो, नेत्रदान करो''

जयपुर 30 अगस्त। ''नेत्रदान महादान'' के ध्येय वाक्य तथा **''अन्धेरे सपनों में रंग भरो, नेत्रदान करो''** के लक्ष्य के साथ दिनांक 28 अगस्त 2017 को राजस्थान पुलिस अकादमी में **'आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान'** के द्वारा नेत्रदान के लिए जागरूकता पैदा करने के

उद्देश्य से अभिप्रेरण सत्र रखा गया। इस अभिप्रेरण सत्र मे बडी संख्या में राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों, प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान की ओर से इस अभिप्रेरण सत्र में श्री ललित कोठारी, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, श्री अशोक भण्डारी, सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, श्री शिरीष मोदी, श्री गोविन्द गुरबानी तथा उनकी टीम ने नेत्रदान के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करते हुए नेत्रदान से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया।

सत्र के प्रारम्भ में स्वागत उद्बोधन देते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक **श्री राजीव दासोत** ने नेत्रदान के महत्व तथा नेत्रदान जैसे पावन कार्य को प्रोत्साहित करने में 'आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान' की भूमिका की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी की सामाजिक सरोकारों से जुडने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अभिप्रेरण सत्र आयोजित करवाने के साथ साथ अकादमी द्वारा पुलिस परिवारों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं से अधिकाधिक नेत्रदान संकल्प पत्र भरने का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के पश्चात् बड़ी संख्या में संकल्प पत्र भरे गये।

श्री शिरीष मोदी ने इस अवसर पर नेत्रदान के संबंध में आधारभूत जानकारियां प्रदान करते हुए नेत्रदान को एक प्रमुख सामाजिक सेवा बताया। उन्होने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा नेत्रदान कर की गई सेवा दो व्यक्तियों के जीवन को रोशन कर सकती है। उन्होने सभी को इस सामाजिक सेवा में अपना योगदान देने का आग्रह किया।

इस अवसर पर **श्री अशोक भण्डारी** ने बताया कि जहाँ अंगदान जीवित व्यक्ति का ही किया जा सकता है, नेत्रदान मृत्यु पश्चात् किया जाता है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान व्यक्ति की मृत्यु के 6 घण्टे पश्चात् तक किया जा सकता है, जिसमें लैन्स निकालने के पश्चात् आँख को बन्द कर दिया जाता है। उन्होने नेत्रदान के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी के मन्दिर हेतु नेत्रदान का संदेश लिखी हुई एक घडी तथा एक बैनर मन्दिर के पुजारी को प्रदान किया।

इस अवसर पर **श्री ललित कोठारी** ने नेत्रदान में पुलिस की विशेष भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि जिन लोगों की मृत्यु अकाल या दुर्घटना में होती है, उनके परिजनों से नेत्रदान करवाने में पुलिस अभिप्रेरण का कार्य कर सकती है। नेत्रदान मात्र 20 मिनट में किया जा सकता है तथा कोर्निया को निकालने के पश्चात् 72 घण्टे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पंचनामें के दौरान नेत्रदान के संबंध में सकारात्मक निर्देशों का भी उल्लेख किया।

अंत में **श्री गोविन्द गुरबानी** ने प्रश्नोत्तर सत्र में नेत्रदान से संबंधित प्रशिक्षुओं द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिये तथा बताया कि नेत्रदान सिर्फ कोर्नियल ब्लाइंडनैस से ही संबंध रखता है। अन्य प्रकार से अन्धेंपन में नेत्रदान संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान 02 से 80 साल तक की उम्र तक के व्यक्ति का किया जा सकता है।

इस अभिप्रेरण सत्र में नेत्रदान पर एक **लघु फिल्म** भी दिखायी गयी तथा नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया।

राही/सन्तरा/631/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट**www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।